2022:CGHC:19892–DB

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
डब्ल्यू. पी. एस. सं. 6689/2018

पुरेंद्र कुमार सिन्हा पुत्र स्वर्गीय चंद्रभूषण सिन्हा, उम्र लगभग 31 वर्ष गाँव झालमाला (बालोद), आरक्षी केंद्र स्टेशन, तहसील, नागरिक और राजस्व जिला बालोद छत्तीसगढ़।मो। सं. 9926208705।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय विभाग के सचिव के माध्यम से महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर, पी. एस. केवली, तहसील और जिला रायपुर, नागरिक और राजस्व जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. कलेक्टर (जनजातीय विकास विभाग) बालोद, आरक्षी केंद्र स्टेशन, तहसील, नागरिक और राजस्व जिला बालोद छत्तीसगढ़।

3. सहायक आयुक्त, (जनजातीय विकास विभाग) बालोद, आरक्षी केंद्र स्टेशन, तहसील, नागरिक और राजस्व जिला बालोद छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यूपीएस सं. 2887/2017

कु०, कुषाणजलि साहू, पुत्र बलराम साहू, उम्र लगभग 24 वर्ष बी/ओ ग्राम बी–जामगाँव तहसील और जिला बालोद छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यूपीएस सं. 169/2022

नरेंद्र उगरे पुत्र स्वर्गीय श्याम लाल उगरे की उम्र लगभग 20 वर्ष की योग्यता आई. टी. आई. प्रशिक्षित, क्यू. टी. आर. नं. 48/25, ब्लॉक संख्या 48,2 कमांडेंट कैम्पस, छठी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, स्थायी पता संत रवि दास नगर, वार्ड संख्या 10, शारदा चौक, जांजगीर जिला जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, गृह विभाग महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3. पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, उत्तर क्षेत्र सरगुजा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।

4. कमांडेंट छठी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 197/2022

ऋषभ कुमार आर्य पुत्र स्वर्गीय शिशुपाल आर्य, लगभग 21 वर्ष की उम्र ब्लॉक कॉलोनी, दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

2. आयुक्त, बस्तर प्रभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

3. कलेक्टर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 223/2022

मनीष कुर्रे पुत्र स्वर्गीय धनसे कुर्रे की उम्र लगभग 30 वर्ष
वार्ड नं.04, मिशन कम्पाउन्ड तख्तपुर, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से–सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

2. जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

---- उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 270/2022

खुशबू अहीरपंख डी/ओ स्वर्गीय जगसाई राम, उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी–कांजियाकुश्मी, पोस्ट–कुश्मी, जिला–बलरामपुर छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, अपने सचिव के माध्यम से, शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी, भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
2. प्रिंसिपल गवर्नमेंट महली भगत स्नतक कॉलेज पोस्ट–कुश्मी, जिला–बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 561/2022

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रचना दरवाड़े पुत्र श्री सुरेश दरवाड़े, उम्र लगभग 36 वर्ष, जाति महार, निवासी सिनेमा लाइन, वार्ड संख्या 07, डोंगरगढ़, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा निदेशालय खंड दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, रायपुर, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़।
4. खंड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़।
5. प्रिंसिपल गवर्नमेंट। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोंगरगढ़, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 592/2022

संजीव वर्मा पुत्र बृजेंद्र नारायण वर्मा लगभग 26 वर्ष की उम्र त्रिपाठी गली, ब्रह्मपारा, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

2. उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त, ब्लॉक–सी 03, दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।

3. उप निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 596/2022

जितेंद्र सिंह कुमरे पुत्र स्वर्गीय श्री घानेश्वर सिंह कुमरे, उम्र लगभग 28 वर्ष माहुरबंद पारा कांकेर जिला कांकेर छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय के माध्यम से महानदी भवन, नई रायपुर, पी. एस. राखी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में।

2. निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, इंद्रावती भवन, पहली मंजिल डी ब्लॉक नई रायपुर, पी. एस. राखी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंतागढ़, जिला कांकेर छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

2022 का डब्ल्यूपीएस सं. 652

तारनी देशमुख पुत्र स्वर्गीय खिलावन सिंह देशमुख लगभग 34 वर्ष पत्नी वेदप्रकाश गौतम, निवासी वार्ड संख्या 19, बुधपारा तालाब रोड बालोद, जिला–बालोद (सी. जी.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

2. लोक शिक्षण आयुक्त निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

3. कलेक्टर बालोद (सी. जी.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संयुक्त निदेशक शिक्षा प्रभाग दुर्ग, जिला–दुर्ग (सी. जी.)5. जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, जिला–बालोद (सी. जी.)

6. खंड शिक्षा अधिकारी खंड दौंडी लोहारा, जिला–बालोद (सी. जी.)

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यूपीएस सं. 823/2022

कु० रंजना पटेल पुत्र स्वर्गीय श्री गेंद्रम पटेल, उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी गाँव और पोस्ट मंदिर हसौद, तहसील आरंग, नागरिक और राजस्व, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव गृह, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, नागरिक और राजस्व जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मंत्रालय के पास, सेक्टर 19, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 920/2022

शिशिर सिंह ठाकुर पुत्र नरेंद्र सिंह ठाकुर लगभग 31 वर्ष निवासी होली क्रॉस स्कूल, पेंशन बड़ा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के पास रहते हैं।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।

2. खंड शिक्षा अधिकारी, धारसीवा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3. संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक निर्देश, पहली मंजिल, सी–ब्लॉक इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 931/2022

जितेंद्र कुमार जाायसवाल पुत्र स्वर्गीय अशोक जायसवाल की उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी टाकिया रोड, अंबिकापुर, वार्ड संख्या 21, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव के माध्यम से छत्तीसगढ राज्य, गृह विभाग, महानदी भवन, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
3. पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक सरगुजा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस सं. 1136/2022

कु० लोकेश्वरी ध्रुव पुत्र स्वर्गीय श्री राधेलाल ध्रुव की उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी पुलिस कॉलोनी फाफडीह, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ के माध्यम से
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, रायपुर जिला (छ०ग०)
3. पुलिस महानिरीक्षक आई. जी. कार्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)
4. पुलिस उप महानिरीक्षक डी. आई. जी. कार्यालय रायपुर जिला रायपुर (छ०ग०)
5. पुलिस अधीक्षक एस. पी. कार्यालय, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यूपीएस सं. 1196/2022

अभय कुमार एक्का पुत्र स्वर्गीय महावीर एक्का की उम्र लगभग 30 वर्ष ग्राम समानिया, डाकघर कमलेश्वरपुर, तहसील नर्मदापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।
3. खंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यूपीएस सं. 1418/2022

सुधा रानी यादव पुत्र स्वर्गीय कैश्रु राम यादव लगभग 39 वर्ष जाति राउत, ग्राम गिरहोला, तहसील चरमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग, महानदी मंत्रालय, नया रायपुर, डाकघर और आरक्षी केंद्र स्टेशन नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से

2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक दूसरी और तीसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, डाकघर और आरक्षी केंद्र स्टेशन नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।
4. संयुक्त निदेशक, शिक्षा प्रभाग, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5. प्राचार्य, हायर सेकेंडरी स्कूल, सुरेगांव, ब्लॉक डोंडिलोहरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदातागण

डब्ल्यू. ए. नंबर 110/2020

कु०दीपा श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय महेश श्रीवास्तव उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बसंतपुर, वार्ड संख्या 43, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़

---- अपीलार्थी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2. पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, भूतल, ब्लॉक संख्या 1, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3. पुलिस अधीक्षक, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़।

---- उत्तरदाता

(मामला सूचना प्रणाली से लिया गया कारण शीर्षक)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी:–

श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, श्री शालीन सिंह बघेल, श्री ईशान वर्मा और श्री वेदांत शादंगी, श्री हेमंत केशरवानी और श्री सुरेश टंडन, श्री सिद्धार्थ पांडे और श्री दशरथ प्रजापति, श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पंकज अग्रवाल और श्री शशि कुमार कुशवाहा, श्री देवेश जी. केला, श्री राकेश कुमार झा, श्री राजकुमार पाली, श्री अनुराग सिंह, श्री विनोद कुमार शर्मा, सुश्री दीक्षा गौराहा, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, श्री एन. नाहा रॉय, श्री विनय पांडे, श्री ए. के. प्रसाद और सुश्री सुचिता बैस और श्री भरत राजपूत।

उत्तरदातागण:–

श्री जितेंद्र पाली और श्री एच. एस. अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता और श्री गगन तिवारी, उप सरकारी अधिवक्ता।

सुनवाई की तिथि–04.08.2022

निर्णय की तिथि–06.09.2022

———————————————————————

माननीय श्री अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश
सी ए वी निर्णय

अरूप कुमार गोस्वामी, मुख्य न्यायाधीश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि यह मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, इसलिए इस पीठ द्वारा मामलों की सुनवाई की जा सकती है और उनका निराकरण किया जा सकता है।

2. 2018 की रिट याचिका (एस) संख्या 6689 में, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक १२.०१.२०२२ के आदेश के माध्यम से कहा था कि इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में **श्रीमती सुलोचना नेताम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (डब्ल्यू. पी. एस. सं. 2278/2017, 23.11.2017)** पर तैयार किए गए प्रश्न पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 33 के अनुसार एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"क्या यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाले मृतक सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, के परिवार के सदस्यों में से एक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाले मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को दी गई निर्भरता/वित्तीय सहायता की जांच करे, जबकि, दिनांकित नीति (आई. डी. 1) ऐसी किसी भी जांच को निर्धारित नहीं करती है और फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करती है, क्योंकि यह पूर्ण प्रतिबंध है?

3. तथ्य, संक्षेप में, **डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 6689/2018** इस प्रकार हैं, डब्ल्यू. पी. एस. नं. 6689/2018 में याचिकाकर्ता के पिता चंद्रभूषण सिन्हा, सहायक आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग के कार्यालय में सहायक ग्रेड–2 के रूप में काम करते हुए, 03.12.2017 पर मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे अपनी पत्नी, याचिकाकर्ता और एक अन्य बेटे, दिनेश कुमार सिन्हा को छोड़ गए। याचिकाकर्ता

ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा करते हुए 02.01.2018 दिनांकित एक आवेदन दायर किया। परिपत्र संख्या 6ए के खंड का सहारा लेते हुए 14.09.2018 दिनांकित एक आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग का एफ 7–2012/1–3, नया रायपुर, दिनांक 29.08.2016, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। याचिकाकर्ता के भाई–दिनेश कुमार सिन्हा अनुबंध के आधार पर भारतीय सेना के तहत काम कर रहे हैं। रिट याचिका में कहा गया है कि दिनेश कुमार सिन्हा याचिकाकर्ता के परिवार से अलग रह रहे थे।

4. शुरुआत में, यह बताना प्रासंगिक है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति पर समेकित संशोधित निर्देश–2013, संक्षेप में, नीति पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. 29.08.2016 दिनांकित परिपत्र, जिसे 14.09.2018 दिनांकित आदेश में संदर्भित किया गया है, खंड 6ए से प्रभावित एक संशोधन है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 12.01.2022 आदेश पारित किए जाने के बाद, रिट याचिकाएं, अर्थात्, WPS संख्या 2887/2017,169/2022,197/2022, 223/2022,270/2022,561/2022,592/2022,596/2022,652/20 22,823/2022,920/2022,931/2022,1136/2022,1196/2022,1 418/2022 को 2018 के WPS संख्या 6689 के साथ रखने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार, उन्हें इस न्याया लय के विचार के लिए एक साथ सूचीबद्ध किया गया है। डब्ल्यू.ए.सं. 110/2020 के साथ। तदनुसार, रिट याचिकाओं/रिट अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस फैसले द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

6. इन याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में, नीति के खंड 5 और 6ए पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, जिसे नीचे पढ़ा गया हैः

> "5. अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारः– नीचे दिखाए गए क्रम में मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों में से एक, अर्थात (ए) अस्वीकृति या पात्र नहीं होने पर (बी) और बाद

में उसी क्रम में (सी), (डी) और (ई) क्रमशः अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगाः

(क) मृतक सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी,

(ख) बेटा/गोद लिया हुआ बेटा,

(ग) अविवाहित बेटी/अविवाहित गोद ली हुई बेटी,

(घ) आश्रित विधवा बेटी/आश्रित गोद ली हुई विधवा बेटी,

(ई) आश्रित तलाकशुदा बेटी/आश्रित तलाकशुदा गोद ली हुई बेटी और,

(च) बहू।

6A. मृतक विवाहित सरकारी कर्मचारी के परिवार में, यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो परिवार का दूसरा सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण। मृतक विवाहित और अविवाहित सरकारी कर्मचारी के परिवार के आश्रितों में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

ए) विवाहित सरकारी कर्मचारी के मामले में–आश्रित माँ, आश्रित माता–पिता, विधवा/विधुर, बेटा और बेटी (गोद लिए हुए बेटे/बेटी, विधवा/तलाकशुदा बेटी सहित) और विधि ।

बी) अविवाहित सरकारी कर्मचारी (या विधवा जिसके कोई बेटा/बेटी नहीं है) के मामले में–आश्रित पिता, माँ, भाई और बहन।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **श्रीमती सुलोचना नेताम (सुप्रा)** में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात की जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, द्वारा याचिकाकर्ता और उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार है या नहीं। **श्रीमती सुलोचना नेताम (सुप्रा)** में, पैराग्राफ 9 और 10 में, यह इस प्रकार कहा गया है:

"9. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, जहां किसी मामले में अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर किया जाता है कि परिवार के अन्य सदस्य ने अलग रहना शुरू कर दिया था और

परिवार के शेष आश्रित सदस्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की थी, जो संकट में हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथ्यात्मक जांच की जानी चाहिए कि क्या अन्य कमाने वाले सदस्य का अलग रहने का यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। यदि वास्तव में यह पाया जाता है कि मृत्यु के समय परिवार का दूसरा कमाने वाला सदस्य पहले से ही अलग रहना शुरू कर चुका था और परिवार के शेष आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा था, तो परिवार के योग्य आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का पालन करना चाहिए।यद्यपि जाँच में, यदि यह पाया जाता है कि दावा केवल बिना किसी आवश्यकता के रोजगार प्राप्त करने के लिए है क्योंकि परिवार का अन्य कमाने वाला सदस्य जीवित नहीं है अलग से और वित्तीय सहायता प्रदान करने के बाद, दयालु नियुक्ति का पालन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त जांच की आवश्यकता है, भले ही नीति स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं बताती है।राज्य को इस तरह की आकस्मिकता से निपटने के लिए नीति में संशोधन करके विचार करना चाहिए, जहां यह पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को दूसरा कमाने वाला सदस्य अलग रह रहा था और कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, मैं उत्तरदातागण को निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक हूं कि वे याचिकाकर्ता के इस दावे को सत्यापित करने के लिए मामले में जांच करें कि उसके ससुर अलग रह रहे हैं और वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता है।विवादित आदेश को निरस्त दिया जाता है और मामला पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, दुर्ग को भेज दिया जाता है।याचिकाकर्ता अपने इस दावे के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है कि उसके ससुर वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं और अलग रह रहे हैं।जाँच में, यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता को वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है और ससुर अलग रह रहे हैं, तो

अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के विधि पर अनुकूल विचार किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, दुर्ग द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जाँच की जानी चाहिए,

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 19 में दिनांकित 12.01.2022 आदेश के माध्यम से प्रश्न तैयार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"19. वर्तमान मामले में, चूंकि 'दिनांकित 14–06–2013 पर संशोधित दिनांकित 29–08–2016 नीति अपने कार्यकाल में पूर्ण है और स्पष्ट रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों पर विचार करने पर प्रतिबंध लगाती है, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है और चूंकि राज्य सरकार द्वारा नीति तैयार करते समय कोई अपवाद नहीं बनाया गया है, इसलिए मेरी राय है कि राज्य सरकार द्वारा एक मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए बनाई गई नीति का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए और इस न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। भारत के संविधान को अधिकार क्षेत्र में प्रकाश चंद के मामले–(2019) 4 एस. सी. सी. 285 में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों द्वारा इस तरह से तैयार की गई नीति को बदलने का अधिकार नहीं है और इस तरह से तैयार की गई नीति से परे नहीं जा सकता है। नतीजतन, इस न्यायालय द्वारा निर्देश इस बात की जांच करना कि क्या परिवार के सदस्यों में से एक सदस्य, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, नियुक्ति का दावा करने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को आर्थिक रूप से सहायता दे रहा है और फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति में संशोधन/परिवर्तन करने के बराबर होगा।तदनुसार, सुलोचना नेताम में इस न्यायालय के निर्णय–(2017 का डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 2728,23.11.2017 पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय लिया गया) के लिए बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

9. आगे बढ़ने से पहले, प्रत्येक अन्य रिट याचिकाओं/रिट अपील के संबंध में मुख्य तथ्यों पर ध्यान देना उचित होगा

डब्ल्यू. ए. नं. 110/2020:

यह अपील डब्ल्यू. पी.एस.न०.1206/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 07.02.2018 आदेश के खिलाफ की जाती है।याचिकाकर्ता के पिता, महेश श्रीवास्तव, विशेष शाखा में कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए, 17.01.2016 पर मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता की माँ की मृत्यु 09.05.2019 पर हो गई थी। यह दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ता का भाई, प्रभात श्रीवास्तव भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के रूप में काम कर रहा है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रह रहा है और याचिकाकर्ता को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा है।याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनुकंपा नियुक्ति की प्रार्थना को नीति के खंड 6ए के संदर्भ में यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसका भाई भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के रूप में काम कर रहा है।लर्नड सिंगल जज, आक्षेपित आदेश द्वारा, 18 को खारिज कर दिया, आवेदन में कहा गया है कि नीति के खंड 6ए में दिखाई देने वाले "सरकारी कर्मचारी" शब्दों से नीति के खंड 6ए में उत्कीर्ण नीति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही याचिकाकर्ता का भाई भारतीय स्टेट बैंक में काम कर रहा हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस सं. 2887/2017:

याचिकाकर्ता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला साहू की बेटी हैं, जो उप–स्वास्थ्य केंद्र, बी–जामगांव, तहसील और जिला बालोद में सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी के रूप में काम कर रही थीं, अपने पीछे अपने पति, याचिकाकर्ता और एक बेटे, मनीष कुमार साहू को छोड़ गई।याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 29.07.2016 पर एक आवेदन प्रस्तुत किया और इसे 28.11.2016 के एक आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के पिता, जो जीवित हैं, एक सरकारी कर्मचारी हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की माँ की मृत्यु 05.06.2016 पर हुई है, नीति दिनांकित 14.06.2013 लागू होगी और

29.08.2016 पर प्रभावी संशोधन लागू नहीं होगा जिसके तहत खंड 6A डाला गया था।

डब्ल्यूपीएस सं. 169/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, श्याम लाल उगरे, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बलों, 6 वीं बटालियन में कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए, अपने पीछे अपनी विधवा और चार बेटों, रवि प्रकाश उगरे, विरेंद्र कुमार उगरे, विनय कुमार उगरे और याचिकाकर्ता नरेंद्र उगरे को छोड़ गए।मृतक कर्मचारी का सबसे बड़ा बेटा रवि प्रकाश उगरे सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालपुर, जिला बालोदबाजार में शिक्षक है। और यह कहा जाता है कि वह अपने परिवार से अलग हो गया है और अलग रह रहा है। यह भी दलील दी जाती है कि परिवार के बाकी लोग मृतक सरकारी कर्मचारी श्याम लाल उगरे पर निर्भर थे।याचिकाकर्ता की माँ ने 08.09.2020 पर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए एक आवेदन दायर किया था (रिट याचिका में गलत तरीके से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन दायर किया था)। याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर 03.11.2020 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था कि उसका भाई रवि प्रकाश उगरे सरकारी सेवा में है। यह तर्क देते हुए कि रवि प्रकाश उग्रे अपने परिवार के साथ अलग रह रहे थे, दिनांक 03.11.2020 के आदेश को WPS नंबर 1371/2021 दाखिल करके चुनौती दी गई और उक्त रिट याचिका का 25.03.2021 को निपटारा कर दिया गया और मामले को **श्रीमती सुलोचना नेताम** (सुप्रा) में निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने के लिए अधिकारियों को वापस भेज दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि एक समिति द्वारा प्रस्तुत निर्भरता के संबंध में रिपोर्ट पर विचार किए बिना, दिनांक 14.09.2021 का आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस न० 197/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, नामतः शिशुपाल आर्य, सहायक ग्रेड–II के रूप में काम करते हुए, अपने पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ते हुए 27.06.2017 पर मृत्यु हो गई।याचिकाकर्ता की माँ ने 22.09.2017 पर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी

पहले से ही शादीशुदा है और बड़ा बेटा उसे कोई वित्तीय सहायता प्रदान किए बिना अलग रह रहा है। एक जाँच की गई, जिससे पता चला कि याचिकाकर्ता अपनी माँ और 20 के साथ रह रहा था, बड़ा बेटा अलग रह रहा था। यद्यपि 15.01.2019 दिनांकित एक आदेश द्वारा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया गया था कि उसका भाई सरकारी सेवा में है।ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का भाई, शशि कांत आर्य, एक चपरासी के रूप में सरकारी सेवा में है।

डब्ल्यूपीएस सं. 223/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, धनसाय कुर्रे, सरकारी हाई स्कूल में सहायक शिक्षक ग्रेड–III के रूप में काम करते हुए, अपनी पत्नी, बड़े बेटे सतीश कुर्रे और याचिकाकर्ता को पीछे छोड़ते हुए मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि बड़े भाई सतीश कुर्रे शादी के बाद दिसंबर, 2013 से अलग रह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने 03.01.2020 पर अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में उन्हें 02.06.2021 के एक आदेश द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी गई। इसके बाद, 27.11.2021 पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को 3 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने इस तथ्य को दबा दिया था कि उसका भाई सरकारी सेवा में है,और इस तरह उसकी नियुक्ति नीति के खंड 6ए के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने कारण बताए बिना जवाब दिया कि चूंकि उसके बड़े भाई ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की थी, इसलिए उसे परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जाता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के आदेश को रद्द करते हुए 09.12.2021 दिनांकित एक आदेश पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस सं. 270/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, जगसाई राम, सरकारी महली भगत स्नतक कॉलेज, कुश्मी में बुक–लिफ्टर के रूप में काम करते हुए, अपने पीछे अपनी पत्नी, दो बेटियों को छोड़ते हुए 27.03.2018 पर मृत्यु हो गई। जिसमें याचिकाकर्ता और एक बेटा, ललित कुमार अहिरपन्ख शामिल हैं। कहा जाता है कि ललित कुमार अहिरपंख

शादीशुदा हैं और आठ साल से अधिक समय से अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सहायक ग्रेड–III के पद के लिए 03.07.2018 पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि 23.06.2021 दिनांकित एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता के आवेदन को इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया गया था कि उसका भाई ललित कुमार अहिरपन्ख पशुपालन विभाग में (एक स्थान पर चपरासी और दूसरे स्थान पर क्लर्क के रूप में) काम कर रहा है।

डब्ल्यूपीएस सं. 561/2022:

याचिकाकर्ता की मां सेवंता दरवड़े व्याख्याता (एलबी) के पद पर कार्यरत थीं और 20.03.2021 को उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे याचिकाकर्ता, उनके पति, बेटे अश्विनी दरवड़े, पुत्रवधू श्रीमती वर्षा दरवड़े और दो विवाहित बेटियों तृप्ति टेम्बोरकर और भावना साकरे को छोड़ गईं। बताया गया है कि याचिकाकर्ता तलाकशुदा है। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उनके भाई की पत्नी वर्षा दरवड़े सरकारी सेवा में हैं। उक्त आदेश को रिट याचिका डब्ल्यूपीएस संख्या 4453/2021 दायर करके चुनौती दी गई और इस न्यायालय ने दिनांक 25.08.2021 के आदेश द्वारा **श्रीमती सुलोचना नेताम** (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों के आलोक में रिट याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति के दावे को दिनांक 06.12.2021 के आदेश द्वारा पुनः खारिज कर दिया गया, जिसमें दोहराया गया कि श्रीमती वर्षा दरवड़े सरकारी सेवा में हैं। इस याचिका द्वारा, दिनांक 06.12.2021 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करने के अलावा, याचिकाकर्ता ने नीति के खंड 6 ए को अमान्य और निष्क्रिय होने के साथ–साथ मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के रूप में चुनौती देते हुए उत्तरदाता अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने के लिए एक और अनुरोध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस सं. 592/2022:

याचिकाकर्ता के भाई, श्री शंभू रतन वर्मा, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सखौली में व्याख्याता (एल. बी.) के रूप में काम करते हुए, 13.12.2020 पर मृत्यु हो गई।अपनी मृत्यु के समय, वह अपने पीछे अपनी पत्नी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य

केंद्र, नवानगर में काम करने वाली एक सरकारी कर्मचारी है, को नाबालिग बच्चों (विवरण नहीं दिया गया है), अपने माता–पिता और याचिकाकर्ता के साथ छोड़ गए।मृतक की पत्नी द्वारा दी गई सहमति पर, याचिकाकर्ता ने 01.02.2021 पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।यद्यपि 17.08.2021 दिनांकित एक आदेश द्वारा पॉलिसी के खंड 6ए के संदर्भ में याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया।

डब्ल्यूपीएस सं. 596/2022:

याचिकाकर्ता के पिता घानेश्वर सिंह कुमरे की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सहायक ग्रेड–II के रूप में काम करते हुए मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वे अपने पीछे पत्नी और दो पुत्र छोड़ गए। याचिकाकर्ता का बड़ा भाई एक सरकारी कर्मचारी है और कहा जाता है कि उसने 2017 से अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे नीति के खंड 6ए को देखते हुए 01.10.2021 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।उपरोक्त आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। यद्यपि 23 के पुनर्विचार के लिए उत्तरदातागण को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रतिनिधित्व दिनांक 20.10.2021 याचिका के पैराग्राफ 8.7 से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अभ्यावेदन को भी खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस न०.652/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, खिलावन सिंह देशमुख, सहायक ग्रेड–II के रूप में कार्य करते हुए, 24.04.2021 पर मृत्यु हो गई।सेवा अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पीछे तीन बेटियां छोड़ गए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को नीति के खंड 6ए को देखते हुए 29.12.2021 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता स्वर्गीय खिलावन सिंह देशमुख की विवाहित बेटी है और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की बहन सरकारी नौकरी में है।

डब्ल्यूपीएस सं. 823/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, गेंदराम पटेल, आरक्षी केंद्र स्टेशन गोबरा नवापारा में हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए, कोविड–19 से पीड़ित होने के बाद मृत्यु हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के दो विवाहित भाई हैं, जो नौकरी करते हैं। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष 15.07.2021 और उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष 22.07.2021 पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।यद्यपि चूंकि उक्त आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे डब्ल्यू. पी. एस.न० 5947/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया था और इस न्यायालय ने दिनांक 27.10.2021 के एक आदेश द्वारा, उत्तरदाता संख्या 2 अर्थात पुलिस महानिदेशक को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति के संचार/प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आवेदनों पर उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका का निराकरण किया। याचिकाकर्ता के आवेदन आदेश 24 के अनुसार खारिज कर दिए गए थे। उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 24.11.2021 और उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा जारी दिनांक 09.12.2021 आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के भाई सरकारी नौकरी में हैं और इसलिए याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस न०.920/2022:

याचिकाकर्ता की माँ, अर्थात् श्रीमती देवकी सिंह ठाकुर, अपर डिवीजन टीचर के रूप में काम करते हुए, कोविड–19 के कारण 02.05.2021 पर निधन हो गया। यह दलील दी जाती है कि उन्हें संपर्क अनुरेखण और अन्य आनुषंगिक कार्यों का काम संयुक्त कलेक्टर, रायपुर द्वारा सौंपा गया था। याचिकाकर्ता के पिता वन विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ता ने 04.06.2021 पर अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता ने 03.05.2021 दिनांकित परिपत्र पर भरोसा किया था।संबंधित उद्धरण का एक अनुवादित संस्करण नीचे दिया गया है:

"विकास आयोग का कार्यालय विकास भवन, चौथी मंजिल, सेक्टर 19, उत्तर ब्लॉक छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

फोन नंबर:0771 2960220, पिन कोड 492002, ईमेल आईडी:establishment.vak@gmail.com

नंबर 1483/वी–2/एस्ट।/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/05/2021

प्रति

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला पंचायत, (छत्तीसगढ़)

विषय : अनुकंपापूर्ण नियुक्ति/अनुकंपा के संबंध में कोरोना (कोविड–19) से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुदान

----0----

सेवा अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग 2013 द्वारा दिनांक 14.08.2013 पर जारी किए गए संशोधित निर्देश।

पैरा क्रमांक 3 में ऐसे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पैरा–17 में प्रावधान है कि दैनिक वेतन भोगी/सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उक्त मृतक के आश्रित परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। बशर्ते कि यदि मृतक, जो दैनिक वेतनभोगी है/प्रत्यक्ष भर्ती से अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति है, ने लगातार 02 वर्षों तक अपनी सेवाएँ दी हैं, तो उसके आश्रित परिवार के नामित सदस्य को अनुकंपा अनुदान के रूप में एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

इस प्रकार, कोरोना से मरने वाले मृतक सरकारी कर्मचारी की पात्रता के अनुसार उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति/अनुकंपा अनुदान और पात्रता के अनुसार सभी देय राशि का भुगतान बिना किसी देरी के किया जाए।

कृपया कोविड से मरने वाले मृतक कर्मचारी की जानकारी और पात्रता के अनुसार सभी भुगतान किए गए बकाया के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करें ताकि सरकार को तुरंत सूचित किया जा सके।

(विकास आयुक्त द्वारा आदेशित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वी. पी. तिर्की

अतिरिक्त विकास आयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय,

छत्तीसगढ नवा रायपुर, अटल नगर

प्र०सं. 1484/वी2/एस्ट/2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03/05/2021 "

अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध को 31.05.2021 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता सरकारी सेवा में हैं। उसकी माँ की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता को रु०.50,000/– की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।

डब्ल्यूपीएस सं. 931/2022:

याचिकाकर्ता के पिता अशोक जायसवाल हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 25.02.2020 को सेवाकाल के दौरान ही मर गए तथा अपने पीछे विधवा व तीन पुत्रों को छोड़ गए। याचिकाकर्ता के बड़े भाई विनय कुमार जायसवाल की नियुक्ति दिनांक 03.09.2007 को शिक्षाकर्मी ग्रेड–III के पद पर हुई थी तथा वर्तमान में वह सहायक अध्यापक (एलबी) के पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार पंचायत विभाग का कर्मचारी होने के कारण वह सरकारी कर्मचारी नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने डब्ल्यूपीएस संख्या 6828/2021 में दिनांक 28.01.2022 के आदेश के तहत माना है। इसमें कहा गया है कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अलग रह रहे हैं तथा याचिकाकर्ता, उनकी मां व भाई को कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहे हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दायर आवेदन दिनांक 11.08.2020 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि परिवार का एक सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका डब्ल्यूपीएस संख्या 2897/2021 दायर की, जिसमें 11.08.2020, 29.12.2020 और 21.05.2021 के अस्वीकृति आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने से पहले मृतक कर्मचारी पर याचिकाकर्ता की निर्भरता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी। श्रीमती के मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए। **सुलोचना नेताम** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने दिनांक 24.06.2021 के आदेश द्वारा डब्ल्यूपीएस संख्या 2897/2021 का निपटारा किया तथा दिनांक 11.08.2020, 29.12.2020 तथा 21.05.2021 के आदेशों को निरस्त कर दिया तथा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। यह कहा गया है कि यद्यपि निर्भरता के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, उस पर विचार किए बिना, दिनांक 28.10.2021 का आदेश पारित कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया।डब्ल्यूपीएस सं. 1136/2022:याचिकाकर्ता के पिता, राधेलाल ध्रुव, हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए, 07.02.2020 पर मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने 08.05.2020 पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया था।दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि वह इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं है कि मृतक के परिवार के तीन सदस्य सरकारी नौकरी में हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस सं. 1196/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, महावीर एक्का, मिडिल स्कूल, बिशुनपुर में हेडमास्टर के रूप में काम करते हुए, अपनी पत्नी, याचिकाकर्ता और अपनी पत्नी को अपने दो भाइयों के साथ छोड़कर 20.09.2015 पर मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने 18.11.2015 पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया।यह दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ता के भाइयों में से एक, सौरभ कुमार एक्का, सरकारी सेवा में है, जो हाई स्कूल, जामगला, ब्लॉक लखनपुर में सहायक शिक्षक (एल. बी.) के रूप में कार्यरत है, लेकिन वह अलग रह रहा है और मृतक कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों का पालन–पोषण नहीं करता है। याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर 11.11.2016 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था कि उसका भाई सरकारी सेवा में है।

डब्ल्यूपीएस सं. 1418/2022:

याचिकाकर्ता के पिता, कैश्रु राम यादव, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुरेगांव में चपरासी के रूप में काम करते हुए 01.10.2021 पर मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने दायर किया, 07.12.2021 पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन, जिसे नीति के खंड 6ए के संदर्भ में 01.02.2022 दिनांकित आदेश

द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता की बहन श्रीमती. कविता यादव सरकारी नौकरी में हैं।

10. श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, 2018 के डब्ल्यूपीएस नंबर 6689 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री शालीन सिंह बघेल, 2022 के डब्ल्यूपीएस नंबर 1418 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री ईशान वर्मा और श्री वेदांत शादंगी, 2022 के डब्ल्यूपीएस नंबर 1196 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता , श्री हेमंत केसरवानी और श्री सुरेश टंडन, 2017 के डब्ल्यूपीएस नंबर 2887 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ पांडे और श्री दशरथ प्रजापति, डब्ल्यूपीएस नंबर 1418 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता डब्ल्यूपीएस 2022 का 931, श्री एच. बी. अग्रवाल, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 920 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पंकज अग्रवाल और श्री शशि कुमार कुशवाहा की सहायता से, श्री देवेश जी. केला, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 823 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री राकेश कुमार झा, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 596 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री राजकुमार पाली, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 652 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुराग सिंह, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 592 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 561 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता , सुश्री दीक्षा गौरा, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 270 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री विनोद कुमार शर्मा, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 223 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, डब्ल्यूपीएस 1136/202 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री एन. नाहा रॉय, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 197 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता , श्री विनय पांडे, 29 के डब्ल्यूपीएस संख्या 242 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता 2022, श्री ए. के. प्रसाद और सुश्री सुचिता बैस, 2022 के डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 169 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री भरत राजपूत, 2020 के डब्ल्यू. ए. संख्या 110 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र पाली और श्री एच. एस. अहलूवालिया, विद्वान उप महाधिवक्ताओं के साथ–साथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री गगन तिवारी, विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता, उत्तरदातागण की ओर से पेश हुए।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री विनोद कुमार शर्मा ने डब्ल्यूपीएस संख्या 561/2022 में प्रस्तुत किया कि नीति का खंड 6 ए मनमाना और भेदभावपूर्ण है क्योंकि मृतक के परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं माना जाता है यदि मृतक के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, बिना यह पता लगाने के लिए कोई जांच किए कि क्या मृतक के परिवार का ऐसा सदस्य, जो सरकारी सेवा में है, मृतक के अन्य परिवार के सदस्यों को कोई वित्तीय सहायता दे रहा है और इस तरह खंड 6 ए रद्द करने योग्य है। उस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि श्रीमती सुलोचना नेताम (सुप्रा) मामले में, हालांकि नीति में स्पष्ट रूप से यह पता लगाने के लिए जांच करने की बात नहीं कही गई है कि क्या परिवार का सरकारी सेवा में कार्यरत सदस्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही निर्देश दिया कि राज्य को यह सत्यापित करने के लिए जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक को परिवार के अन्य सदस्य से कोई वित्तीय सहायता मिल रही है जो सरकारी सेवा में है और ऐसी आकस्मिकता से निपटने के लिए नीति में संशोधन पर भी विचार करना चाहिए, जहां यह पाया गया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर सरकारी सेवा में कार्यरत सदस्य अलग रह रहा था और कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहा था। हालांकि, आज तक ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय ने **श्रीमती सुलोचना नेताम** (सुप्रा) मामले में सुझाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, डब्ल्यूपीएस 6689/2018 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, श्री ए.के. प्रसाद और सुश्री सुचिता बैस, डब्लूपीएस 169/2022 में विद्वान वकील, श्री विनोद कुमार शर्मा, डब्लूपीएस 223/2022 में विद्वान वकील, श्री सिद्धार्थ पांडे और श्री दशरथ प्रजापति, डब्लूपीएस 931/2022 में विद्वान वकील, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, डब्लूपीएस 1136/2022 में विद्वान वकील, श्री ईशान वर्मा और श्री वेदांत षडंगी, डब्लूपीएस 1196/2022 में विद्वान वकील, श्री एस.एस. बघेल, डब्लूपीएस 1418/2022 में विद्वान वकील, सुश्री दीक्षा गौराहा, डब्लूपीएस 270/2022 में विद्वान वकील, श्री अनुराग सिंह,

डब्लूपीएस 592/2022 में विद्वान वकील, श्री राकेश कुमार झा, डब्लूपीएस 596/2022 में विद्वान वकील, श्री राज कुमार पाली, डब्ल्यूपीएस 652/2022 में विद्वान वकील, श्री देवेश जी केला, डब्ल्यूपीएस 823/2022 में विद्वान वकील और श्री एच.बी. अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल की सहायता से विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री शशि कुमार कुशवाह, डब्ल्यूपीएस 920/2022 में विद्वान वकील, यह भी प्रस्तुत करते हैं कि **श्रीमती सुलोचना नेताम (सुप्रा)** में लिया गया दृष्टिकोण सही है और इसमें कोई कमी नहीं है।

13. श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, डब्ल्यूपीएस 6689/2018 में विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि नीति का खंड 6ए नियमित सरकारी सेवा पर विचार करता है न कि मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने से वंचित करने के लिए संविदात्मक नियुक्ति पर तदनुसार, वह प्रस्तुत करता है कि 31 पर अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति यह आधार कि याचिकाकर्ता का भाई भारतीय सेना में है, विधि रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. श्री विनोद कुमार शर्मा, डब्ल्यू. पी. एस.न०.223/2022 में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, बाद में इस आधार पर नियुक्ति रद्द की गई है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

15. श्री सिद्धार्थ पांडे और श्री दशरथ प्रजापति, डब्ल्यू.पी.एस. न० 931/2022 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षा कर्मी ग्रेड–III का पद सरकारी सेवा में एक पद नहीं है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. एस.न० 6828/2021 में दिनांकित 28.01.2022 के आदेश के अनुसार आयोजित किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर अस्वीकार करना कि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई सरकारी सेवा में है, विधि में असमर्थनीय है।

16. श्री हेमंत केशरवानी और सुश्री सुरेश टंडन, डब्ल्यू. पी. एस. 2887/2017 में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक सरकारी कर्मचारी की

मृत्यु दिनांक 29.04.2016 को प्रभावी संशोधन द्वारा खंड 6ए को शामिल करने से पहले हुई थी, आवेदन को अस्वीकार करने के लिए खंड 6ए पर निर्भरता विधि में टिकाऊ नहीं है क्योंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने की प्रासंगिक तिथि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर प्रचलित नीति है।

17. श्री भरत राजपूत, डब्ल्यू. ए० न० 110/2020 में विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि जब पॉलिसी का खंड 6ए एक आवेदक को अयोग्य घोषित करता है, परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने से, डब्ल्यू. पी. एस. 1206/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया विचार कि जब तक मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य नौकरी में है, तब तक परिवार का अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है, विधि की दृष्टि से गलत है और इसलिए, डब्ल्यू. पी. एस. 1206/2018 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता का भाई सरकारी नौकरी में नहीं था, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक की सेवा में था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब नीति के खंड 6ए में यह निर्धारित किया गया है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में है, तो मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, न्यायालय द्वारा किसी अन्य रोजगार को अपने दायरे में लेने के लिए नीति का विस्तार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. श्री जितेंद्र पाली, श्री एच. एस. अहलूवालिया, विद्वान उप महाधिवक्ता और श्री गगन तिवारी, उत्तरदातागण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि नीरज कुमार उके बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (डब्ल्यू. ए.न० 324/2021) के दिनांक 10.12.2021 के फैसले के माध्यम से, इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल ऐसी नियुक्ति के लिए लागू नीति के आधार पर किया जा सकता है और जब नीति स्वयं यह प्रावधान करती है कि यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो इस आधार पर कोई नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है कि परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है। यह प्रस्तुत किया

कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीति के दायरे से परे अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,नीति के खंड 6ए में निर्धारित शर्त जो मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करती है, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में है, तो इसे मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है।यह भी तर्क दिया जाता है कि यह पता चलने के बाद कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का एक अन्य सदस्य सरकारी सेवा में है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति को रद्द करना पूरी तरह से उचित है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि खंड 6ए में दिखाई देने वाले "सरकारी सेवा" शब्द को विस्तारित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि किसी भी संगठन में नियमित और संविदात्मक दोनों तरह की सेवा को इसके दायरे में लाया जा सके। एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के (2020) 7 एस. सी. सी. 617 के मामले में यह तर्क देप्रतिवेदित के लिए भरोसा किया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार के समय जो नीति लागू है, उस नीति को लागू किया जाना चाहिए, न कि उस नीति को जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

20. विचाराधीन रिट याचिकाओं/रिट अपील को छह व्यापक शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

श्रेणी–ए– पॉलिसी के खंड 6ए को चुनौती देने वाली याचिका लिखें।इस श्रेणी में डब्ल्यूपीएस सं. 561/2022 आता है।

श्रेणी–बी– याचिका लिखें जिसमें याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में से एक सरकारी सेवा में है। इस श्रेणी में डब्ल्यू. पी. एस. संख्या

169/2022, 197/2022, 270/2022, 592/2022, 596/2022, 652/2022, 823/2022, 920/2022, 931/2022, 1136/2022, 1196/2022, 1418/2022 आते हैं।

श्रेणी–सी– यह पता चलने के बाद कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति को रद्द करने पर सवाल उठाते हुए लिखित याचिका दायर करें।इस श्रेणी में डब्ल्यूपीएस सं. 223/2022 आता है।

श्रेणी–डी– इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने पर सवाल उठाते हुए याचिका लिखें कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य भारतीय स्टेट बैंक में काम कर रहा है। इस श्रेणी में डब्ल्यू. ए. नंबर 110/2020 आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रेणी–ई– इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने पर सवाल उठाते हुए याचिका लिखें कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य सरकारी सेवा में है जबकि परिवार का सदस्य अनुबंध आधार पर भारतीय सेना के तहत काम कर रहा था। इस श्रेणी में डब्ल्यूपीएस सं. 6689/2018 आता है।

श्रेणी–एफ– याचिका लिखें जिसमें यह दावा किया गया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को मौजूद नीति प्रासंगिक है और विचार के समय बदली हुई नीति को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करना अवैध है। इस श्रेणी में डब्ल्यूपीएस सं. 2887/2017 आता है।

21. अंत में, अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देना उचित होगा।

22. **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य(1994) 4 एस. सी. सी. 138** में रिपोर्ट किए गए मामले में, प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "एक नियम के रूप में, लोक सेवाओं में नियुक्तियां सख्ती से आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए।

नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है।न तो सरकार और न ही सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं में ढील देने के लिए स्वतंत्र हैं।यद्यपि इस सामान्य नियम का, जिसका हर मामले में सख्ती से पालन किया जाना है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं।ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर रहा है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ रहा है। ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद से बहुत कम पद देना नहीं है।(जोर दिया गया)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **(1996) 5 एस. सी. सी. 308** में प्रतिवेदित गए **हरियाणा राज्य बनाम रानी देवी** मामले में यह देखा गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति का दावा इस आधार पर आधारित है कि वह मृत कर्मचारी पर निर्भर था। कड़ाई से, इस दावे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यद्यपि इस तरह के दावे को ऐसे कर्मचारी के परिवार में अचानक आने वाले संकट के आधार पर उचित और अनुमेय माना जाता है, जिसने राज्य की सेवा की है और सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और इसलिए अधिकारियों के लिए नियम, विनियम बनाना या ऐसे प्रशासनिक आदेश जारी करना आवश्यक है, जो अनुच्छेद 14 और 16 की परीक्षा पर खरा उतर सकें। अनुकंपा पर नियुक्ति आधार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और इसे सभी प्रकार के पदों पर लागू नहीं किया जा सकता है, चाहे मृतक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रकृति कुछ भी हो।

24. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाम पुष्पेंद्र कुमार, (1998) 5 एस. सी. सी. 192 में, रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए, पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

> "8. अनुकंपा रोजगार देने के प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को रोटी कमाने वाले की मृत्यु के परिणामस्वरूप अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिसके कारण परिवार गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना रह गया है।विशुद्ध मानवीय विचार के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है जो ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **भारतीय स्टेट बैंक और एक अन्य बनाम सोमवीर सिंह**, (2007) 4 एस. सी. सी. 778 में रिपोर्ट किए गए मामले में, प्रतिवेदित नीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "7. भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (1) अपने सभी नागरिकों को राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 (2) 38 केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में भेदभाव के खिलाफ नागरिक की रक्षा करता है।
>
> यह इतनी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सामान्य नियम के लिए बनाया गया एक अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से की जानी चाहिए जो सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।इस तरह की नियुक्तियां आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए। नौकरी के दौरान

मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों का सार्वजनिक सेवाओं के लिए कोई विशेष या अतिरिक्त दावा नहीं होता है, सिवाय इसके कि उन्हें नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया हो।

26. (2008) 15 एस. सी. सी. 560 में रिपोर्ट किए गए **सेल बनाम मधुसूदन दास** में, प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार और नियमों में निर्धारित प्रतिवेदित दंडों को सभी उम्मीदवारों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

27. (2008) 13 एस. सी. सी. 730 में रिपोर्ट किए गए **वी. शिवमूर्ति बनाम ए. पी. राज्य** मामले में, प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दियाः

"18. (क) केवल वंश के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक रूप से नियुक्तियाँ सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को ध्यान में रखते हुए आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर सख्ती से की जानी चाहिए।यद्यपि नियुक्ति का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ उक्त सामान्य नियम के लिए एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद हैं, जो कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए न्याय के हित में बनाई गई हैं।

(ख) सामान्य नियम के अपवाद के रूप में बनाई गई दो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त आकस्मिकताएँ हैंः

(i) सेवा में रहते हुए कमाने वाले की मृत्यु के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट से निपटने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।

(ii) कमाने वाले की चिकित्सा अयोग्यता के कारण परिवार में संकट से निपटने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।

एक अन्य आकस्मिकता, हालांकि कम मान्यता प्राप्त है, वह है जहां भूमि धारक एक सार्वजनिक परियोजना के लिए अपनी पूरी भूमि खो देते हैं, यह योजना परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करती है। (विशेष रूप से जहां जिस विधि के तहत अधिग्रहण किया जाता है, वह बाजार मूल्य और मुआवजे के रूप में सहायता प्रदान नहीं करता है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(स) जब तक सेवा को नियंत्रित करने वाले नियम ऐसी नियुक्तियों की अनुमति नहीं देते हैं, तब तक न तो अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया जा सकता है और न ही दी जा सकती है।ऐसी नियुक्तियाँ ऐसी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली योजना के अनुसार और मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ सख्ती से होंगी।

(घ) सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों की अनुमति केवल संबंधित कर्मचारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य, यानी पति या पत्नी, बेटे या बेटी के मामले में है, न कि अन्य रिश्तेदारों के मामले में।इस तरह की नियुक्तियां केवल निचली श्रेणी के पदों, यानी तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर होनी चाहिए और पहली या दूसरी श्रेणी के पदों पर रोजगार की मांग करके संकट को वरदान में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। (जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. **भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज कुमार**, (2010) 11 एस. सी. सी. 661 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय प्रतिवेदित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है और यह सामान्य नियम का एक अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान करने वाले खुले निमंत्रण द्वारा योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। कर्मचारियों के आश्रित, जो नौकरी में मर जाते हैं, उनके पास कोई विशेष दावा या रोजगार का अधिकार नहीं है, सिवाय उस रियायत के जो नियोक्ता द्वारा नियमों के तहत या एक अलग योजना द्वारा दी जा सकती है, ताकि मृतक के परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से मुक्ति मिले, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल ऐसे रोजगार के लिए नियोक्ता द्वारा बनाई गई योजना के लिए ही पता लगाया जा सकता है और ऐसी योजना के बाहर कोई अधिकार नहीं है।

29. **(2011) 4 एस. सी. सी. 209** में रिपोर्ट किए गए **भवानी प्रसाद सोनकर बनाम भारत संघ और अन्य मामले में**, प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य और अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता और अनिवार्यताओं पर विचार करते हुए कहाः

"15. अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुकंपा रोजगार केवल मानवीय आधार पर दिया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारी के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से निपटने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। पूरी तरह से वंश के आधार पर नियुक्ति हमारी संवैधानिक योजना के लिए शत्रुतापूर्ण है और आमतौर पर सार्वजनिक रोजगार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर होना चाहिए, नियुक्ति का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है। फिर भी, अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा को सामान्य नियम के अपवाद के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे न्याय के हित में, कुछ आवश्यकताओं में, एक नियोक्ता की नीति के माध्यम से बनाया गया है, जो सेवा नियमों के चरित्र को शामिल करता है। ऐसा होने के कारण, इस पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि योजना या पॉलिसी, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए बाध्यकारी है। एक अपवाद होने के नाते, योजना का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और केवल उस उद्देश्य तक सीमित होना चाहिए, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस प्रकार सहानुभूति के आधार पर रोजगार के दावे पर विचार करते समय, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगाः

(i) सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा रोजगार नहीं किया जा सकता है। अनुरोध पर योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए और योजना के लिए अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए किसी भी प्राधिकरण के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है।

(ii) अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को बिना किसी अनुचित देरी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उचित समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

(iii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा में रहते हुए कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सा अयोग्यता के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट से

निपटने के लिए होती है, इसलिए उसकी मृत्यु या अक्षमता के समय मृतक/अक्षम कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना अनुकंपा रोजगार को निश्चित रूप से उदारता के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(IV). अनुकंपा रोजगार केवल मृत/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक यानी माता–पिता, पति या पत्नी, बेटे या बेटी के लिए अनुमत है और सभी रिश्तेदारों के लिए नहीं, और ऐसी नियुक्तियां केवल निम्नतम श्रेणी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए होनी चाहिए।''

30. **हिमाचल प्रदेश राज्य में और एक अन्य बनाम प्रकाश चंद, (2019) 4 एस. सी. सी. 285** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक कर्मचारी की आश्रितों की अनुकंपापूर्वक नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश अनुज्ञेय नहीं है, और निम्नानुसार देखा गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य को बेटे या मृतक सरकारी कर्मचारियों की बेटियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करना चाहिए, भले ही परिवार का एक सदस्य सरकार या स्वायत्त बोर्ड या निगम की सेवा में लगा हो। उच्च न्यायालय के फैसले का यह निर्देश वस्तुतः राज्य सरकार के लिए उन शर्तों की अवहेलना करने के लिए एक आदेश के बराबर है जो उसकी नीति के पैरा 5 (सी) में दिनांकित 18–1–1990 में निर्धारित की गई हैं। इस नीति में एक सीमित अपवाद शामिल है, जो केवल मृतक कर्मचारी की विधवा के लिए उपलब्ध है, जो अनुकंपा नियुक्ति चाहती है, भले ही मृतक कर्मचारी के बच्चों में से एक राज्य के साथ लाभकारी रूप से कार्यरत हो। इस अपवाद का आधार उन मामलों से निपटना है, जहाँ विधवा को उसके बच्चों द्वारा वित्तीय रूप से सहायता नहीं मिल रही हो।

10. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन के अभ्यास में, उच्च न्यायालय के लिए नीति की शर्तों को फिर से लिखने का अधिकार नहीं था। यह अच्छी तरह से तय है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का

मामला नहीं है, बल्कि उन शर्तों द्वारा शासित होना चाहिए, जिन पर राज्य एक मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को रोजगार सहायता प्रदान करने की नीति निर्धारित करता है। उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 138; एस. बी. आई. बनाम कुंती तिवारी, (2004) 7 एस. सी. सी. 271; पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार टेनेजा, (2004) 7 एस. सी. सी. 265; एस. बी. आई. बनाम सोमवीर सिंह, (2007) 4 एस. सी. सी. 778; मुमताज यूनुस मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 11 एस. सी. सी. 384; भारत संघ बनाम शशांक गोस्वामी, (2012) 11 एस. सी. सी. 307; एस. बी. आई. बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी, (2014) 15 एस. सी. सी. 73 9; और केनरा बैंक बनाम एम. महेश कुमार, (2015) 7 एससीसी 412।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है। उच्च न्यायालय ने नीति की शर्तों को वस्तुतः फिर से लिखा है और राज्य को उन आवेदनों पर विचार करने का निर्देश जारी किया है, जो नीति की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, यह अस्वीकार्य है।

31. (2019) 14 एस. सी. सी. 646 में रिपोर्ट किए गए **भारत संघ और एक अन्य बनाम वी. आर. त्रिपाठी** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "13. अनुकंपा नियुक्ति की नीति किसी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए मृत्यु पर आधारित होती है। एक कर्मचारी की मृत्यु परिवार को वित्तीय कठिनाई और आवश्यकता की स्थिति में डालने के लिए उत्तरदायी है। अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का उद्देश्य उस कठिनाई को कम करना है, जिसका सामना किसी मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए समय से पहले मृत्यु होने पर करना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में अनुकंपा नियुक्ति केवल माता–पिता या वंश पर आधारित नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक रोजगार अवसर की समानता के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी संविधान का अनुच्छेद 16 गारंटी देता है, इसलिए किसी मृत कर्मचारी के परिवार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किए जाने या राज्य द्वारा दिए जाने से पहले

नियोक्ता के पास ऐसे नियम या योजना होनी चाहिए, जो ऐसी नियुक्ति की परिकल्पना करती हो। यह इस मायने में है कि यह विधि का एक तुच्छ सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि जहां अनुकंपा नियुक्ति की योजना है, वहां भी नियुक्ति के लिए आवेदन पर केवल नियमों या योजना की शर्तों को पूरा करने के अधीन विचार किया जा सकता है। विद्वत अतिरिक्त 46 द्वारा भारत संघ की ओर से अनुरोध किया गया प्रस्तुतिकरण सॉलिसिटर जनरल को इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि केवल एक पात्रता है, जहां इसकी परिकल्पना करने वाली कोई योजना या नियम मौजूद हैं, जिन पर प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. (2001) 10 एस. सी. सी. 621 में रिपोर्ट किए गए सेल और एक अन्य बनाम अवधेश सिंह और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया था, वह यह था कि क्या विचाराधीन समझौते के ज्ञापन के तहत, मृतक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करने की अनुमति थी, भले ही मृतक का कोई अन्य आश्रित पहले से ही सेवा में हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस उद्देश्य के लिए ऐसी योजना विकसित की गई थी, वह विफल हो जाएगी, यदि मृतक के आश्रित द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दावा किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि मृतक का दूसरा आश्रित पहले से ही सेवा में है।

33. इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है और यह सामान्य नियम का अपवाद है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार का कोई विशेष दावा या अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि नियोक्ता द्वारा नियमों के तहत अलग योजना

के तहत रियायत के रूप में मृतक के परिवार को अचानक पारिवारिक संकट से उबरने में सक्षम बनाया जा सकता है।

34. प्रकाश चंद (सुप्रा) में राज्य सरकार द्वारा तैयार नीति में पैरा 5(सी) में पात्रता की निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

"ऐसे सभी मामलों में जहां परिवार के एक या अधिक सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में हैं या राज्य/केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों/निकायों/ बोर्डों/निगमों आदि में रोजगार में हैं, किसी भी परिस्थिति में परिवार के दूसरे या तीसरे सदस्य को रोजगार सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, हालांकि ऐसे मामलों में जहां मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा यह दावा करती है कि उसके कार्यरत बेटे/बेटियां उसका भरण–पोषण नहीं कर रहे हैं, रोजगार सहायता के अनुरोध पर केवल विधवा के संबंध में ही विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में विधवा को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए भी कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की राय विशेष रूप से मांगी जानी चाहिए और मामले पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. प्रकाश चंद (सुप्रा) में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी का भाई हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड में सेवारत है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, उत्तरदाता ने आग्रह किया था कि उसका भाई सत्रह साल से अलग रह रहा था और तदनुसार उसने अस्वीकृति के आदेश के साथ–साथ अनुकंपा के आधार पर चपरासी के रूप में उसकी नियुक्ति के निर्देश निरस्त करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को मृतक सरकारी कर्मचारियों के बेटों या बेटियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करना चाहिए, भले ही परिवार का एक सदस्य सरकार या स्वायत्त बोर्ड या निगम की सेवा में लगा हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के लिए नीति की शर्तों को फिर से लिखने का अधिकार नहीं है और उच्च न्यायालय का निर्देश वस्तुतः राज्य सरकार के लिए उन शर्तों की अवहेलना करने के लिए एक आदेश के बराबर है, जो उसकी नीति के पैरा 5

(सी) में दिनांकित 18.01.1990 में निर्धारित की गई हैं। यह देखा गया कि नीति में एक सीमित अपवाद है, जो केवल एक मृत कर्मचारी की विधवा के लिए उपलब्ध है, जो अनुकंपा नियुक्ति चाहती है, भले ही मृत कर्मचारी के बच्चों में से एक राज्य में लाभकारी रूप से कार्यरत हो, इस अपवाद का आधार उन मामलों से निपटना था यदि विधवा को उसके बच्चों द्वारा आर्थिक रूप से सहायता नहीं दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय ने नीति की शर्तों को वस्तुतः फिर से लिखा था, जो विधि में अस्वीकार्य है और तदनुसार उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त दिया था, नतीजतन रिट याचिका भी निरस्त कर दी गई।

36. उपरोक्त निर्णयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित विधि को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है और यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि नीति का खंड 6ए किसी भी तरह से इस आधार पर मनमाना है कि यह मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराता है, यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. इस न्यायालय ने नीरज कुमार उके (सुप्रा) मामले में पैरा 16 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "16. यह अब समग्र नहीं है कि अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक निहित अधिकार नहीं है। ऐसी नियुक्ति के लिए लागू योजना के आधार पर ही अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया जा सकता है। जब योजना स्वयं यह प्रावधान करती है कि अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, तो इस आधार पर कोई नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है कि परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है। इस योजना के तहत सरकार पर यह पता लगाने का कोई दायित्व नहीं है कि क्या ऐसा कर्मचारी परिवार के अन्य सदस्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

38. ऐसा प्रतीत होता है कि नीरज कुमार उके (सुप्रा) में दिए गए निर्णय को किसी भी पक्ष द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जबकि मामला एक बड़ी पीठ के विचारार्थ भेजा गया था।

39. 2022 के डब्ल्यू. ए. संख्या 33 में 18.02.2022 (छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य बनाम श्रीमती. मुनिया मुखर्जी), इस न्यायालय ने नीति के खंड 5 और 6 ए के तहत निहित प्रावधानों का विश्लेषण किया और पैराग्राफ 15 और 6 में निम्नानुसार लेखबद्ध कियाः

> "15. योजना के खंड 5 के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें यह परिकल्पना नहीं की गई है कि किसी विवाहित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर सरकारी कर्मचारी के माता–पिता अनुकंपा नियुक्ति के हकदार होंगे। यह मृतक सरकारी कर्मचारी का जीवनसाथी है, जिसे पहली वरीयता दी जाती है और फिर बेटे/गोद लिए हुए बेटे आदि को खंड 5 में दिए गए क्रम में दी जाती है। चूंकि योजना के खंड 5 में बताए गए अनुसार केवल मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इसलिए योजना में परिवार की परिभाषा के अभाव में यह अभिनिर्धारित करना उचित होगा कि खंड 5 में उल्लिखित मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का गठन करेंगे। यदि योजना के खंड 5 में दिखाए गए परिवार का कोई भी सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में है, तो खंड 6 (ए) के संदर्भ में, खंड 5 में उल्लिखित परिवार के अन्य सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
>
> 16. खंड 6 ए का स्पष्टीकरण किसी भी तरह से मृतक विवाहित सरकारी कर्मचारी के परिवार से संबंधित नहीं है।व्याख्या की प्रासंगिकता भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि जब योजना ने आश्रित माता–पिता को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए बाहर रखा था, तो यह वर्णन करने का कोई उद्देश्य नहीं है कि मृतक विवाहित सरकारी कर्मचारी के आश्रित कौन हैं।––––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, लखनऊ और अन्य बनाम प्रभात सिंह के (2012) 13 एस. सी. सी. 412** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि अदालतों और न्यायाधिकरणों को किसी भी सहानुभूति सिंड्रोम का शिकार नहीं होना चाहिए, ताकि निर्धारित मानदंडों के संदर्भ के बिना अनुकंपा नियुक्तियों के लिए निर्देश जारी किए जा सकें और अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 में कहा गया है:

> "19. अदालतों और न्यायाधिकरणों को किसी भी सहानुभूति सिंड्रोम का शिकार नहीं होना चाहिए, ताकि निर्धारित मानदंडों के संदर्भ के बिना अनुकंपा नियुक्तियों के लिए निर्देश जारी किए जा सकें। अदालतों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांता क्लॉज़ का बड़ा थैला ले जाना नहीं चाहिए, ताकि अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाले सभी लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का उपहार दिया जा सके। अदालतों और न्यायाधिकरणों को यह समझना चाहिए कि सहानुभूति, करुणा और विवेक का हर ऐसा कार्य, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं, जो वास्तव में एक जरूरतमंद परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता से वंचित कर सकते हैं और इस तरह वास्तव में एक गरीब, बेसहारा और गरीब परिवार को गरीबी में धकेल सकते हैं, इसलिए विवेक को खारिज कर दिया जाता है, तो गलत सहानुभूति और करुणा हैं।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. नीरज कुमार उके (सुप्रा) में दिए गए निष्कर्ष को दोहराते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि अनुकंपा नियुक्ति उन शर्तों के अनुसार होनी चाहिए, जिन पर राज्य किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को रोजगार सहायता देने की नीति निर्धारित करता है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह देखते हुए दिया जाता है कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा, जो पहले से ही सरकारी सेवा में है, मृतक सरकारी कर्मचारी के अन्य परिवार के सदस्यों पर निर्भरता/वित्तीय सहायता के संबंध में जांच करने का निर्देश नहीं दे सकता है,

जब परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किया जाता है, क्योंकि ऐसा करना नीति की शर्तों को फिर से लिखने के समान होगा।

42. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, डब्ल्यू. पी. एस. न० 561/2022 को निरस्त कर दिया जाता है।

43. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक रूप से, श्रेणी–बी मामले, अर्थात्, डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 169/2022, 197/2022, 270/2022, 592/2022,596/2022,652/2022,823/2022,920/2022,931/2022,1136/2022,1196/2022, 1418/2022 उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए और तदनुसार उन्हें निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. यद्यपि डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 592/2022,920/2022 और 931/2022 के संबंध में, थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है। डब्ल्यूपीएस न०.592/2022 में, याचिकाकर्ता ने अपने भाई की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खंड 5 के तहत, एक भाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा मृतक भाई की पत्नी भी सरकारी नौकरी में है। डब्ल्यू. पी. एस. सं. 920/2022 में दिए गए 03.05.2012 दिनांकित पत्र में यह नहीं कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की कोविड–19 से मृत्यु हो जाती है, तो खंड 6ए लागू नहीं होता है। डब्ल्यू. पी. एस. 931/2022 में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके बड़े भाई को 03.09.2007 पर शिक्षा कर्मी ग्रेड III के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वह सहायक शिक्षक (एल. बी.) के पद पर काम कर रहा है और वह पंचायत विभाग का कर्मचारी होने के नाते, वह एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, जैसा कि **श्रीमती श्वेता सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** (डब्ल्यू. पी. एस. सं. 6828/2021) दिनांक 28.01.2022 के आदेश के अनुसार उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शिक्षाकर्मी सिविल पद का धारक नहीं है और इसलिए सरकारी कर्मचारी नहीं है। राज्य के उत्तरदातागण द्वारा दायर किए गए विवरण में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का भाई स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड–III के रूप में तैनात है। अभिलेखों से यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता के भाई को 01.07.2018 पर स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल किया

गया था और इस तरह के अवशोषण के बाद वह एक सरकारी कर्मचारी बन गया था। जब याचिकाकर्ता का भाई सहायक ग्रेड–III के रूप में काम कर रहा है और सरकारी माध्यमिक विद्यालय, ब्लॉक अंबिकापुर में सहायक शिक्षक (एल. बी.) के रूप में तैनात है, तो याचिकाकर्ता द्वारा की गई याचिका कि उसका भाई शिक्षा कर्मी है और इस प्रकार सरकारी सेवा में नहीं है, स्वीकार नहीं की जा सकती है।

45. **हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम अंकुर गुप्ता** में, **(2003) 7 एस. सी. सी. 704** में प्रतिवेदित में अनुकंपा नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि मां सरकारी नौकरी में थी, रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर न्यायालय याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। उच्च न्यायालय ने न्यायालय याचिका को इस आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जैसे कि शर्तों में ढील दी गई हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया था, जिसके तहत छूट की अनुमति थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त किया, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अनुकंपा नियुक्ति चार साल से अधिक समय से जारी थी और वह अधिक उम्र का हो गया था, यह देखा गया कि यदि उसने दो साल की अवधि के भीतर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया और उसका चयन किया जाता है, तो उसके आयु सीमा को पार करने का प्रश्न उसके रास्ते में नहीं आएगा और उसके द्वारा दी गई सेवा पर विधिवत विचार किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. **एस. मोहन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, (1998) 9 एस. सी. सी. 485** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को अनुकंपा के आधार पर कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त प्रतिवेदित था, क्योंकि उसने अपनी मां की मृत्यु के दस साल बाद अनुकंपा के आधार पर रोजगार की मांग की थी। लगभग ढाई साल की सेवा के बाद, अपीलार्थी की सेवा समाप्त कर दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी की माँ परिवार की एकमात्र कमाने वाली नहीं थी, क्योंकि दो बेटे पहले से ही कार्यरत थे और उनके पिता को भी पेंशन मिल रही थी। यह भी देखा गया कि उसकी माँ की मृत्यु के समय अपीलार्थी 12 या 13 साल की उम्र के आसपास का था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया गया।

47. **एल. आई. सी. भारत बनाम आशा रामचंद्र आंबेकर, (1994) 2 एस. सी. सी. 718** में रिपोर्ट मामले में यह प्रतिवेदित किया गया था कि उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण विचारों से प्रेरित आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकते हैं, जब उनके संबंध में बनाए गए विनियम ऐसी नियुक्तियों को शामिल नहीं करते हैं और उन पर विचार नहीं करते हैं।

48. स्वीकृत रूप से डब्ल्यू. पी. एस.न०.223/2022 में याचिकाकर्ता का भाई सरकारी सेवा में है। राज्य उत्तरदातागण द्वारा दाखिल विवरणी में कहा गया है कि उनके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन में उपरोक्त तथ्य को छुपाया गया था। इसके बाद उनकी नियुक्ति नीति के विपरीत होने के संबंध में प्रश्न प्राप्त होने पर कारण बताए जाने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनुकंपा नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया जाना चाहिए, भले ही ऐसी नियुक्ति भौतिक तथ्यों को छिपाने पर प्राप्त की गई हो, मामले के उस दृष्टिकोण में डब्ल्यू. पी. एस.न० 223/2022 को निरस्त कर दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. धारा 6ए के अनुसार यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो आवेदक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य है। अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुसार ही की जानी चाहिए, इसलिए हमारा विचार है कि धारा 6ए में इस बात का कोई प्रावधान न होने के कारण कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या राज्य/केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों/निकायों/बोर्डों/निगमों आदि में नौकरी में है या किसी अन्य सेवा में नियमित नौकरी में है, अपीलकर्ता के मामले को डब्ल्यूए संख्या 110/2020 में इस आधार पर खारिज करना कि उसका भाई भारतीय स्टेट बैंक में काम कर रहा है, कायम नहीं रखा जा सकता। हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा धारा 6ए के प्रावधान का विस्तार करके धारा 6ए के दायरे में सरकारी सेवा से परे किसी अन्य प्रकार के रोजगार को भी शामिल करने का कोई औचित्य नहीं था।

50. मामले के उस दृष्टिकोण में, डब्ल्यूपीएस न०. 1206/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 07.02.2018 आदेश को निरस्त दिया जाता है और रिट अपील की अनुमति दी जाती है।

51. डब्लूपीएस संख्या 6689/2018 में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसका भाई भारतीय सेना में संविदा के आधार पर काम कर रहा है। राज्य/प्रतिवादियों द्वारा दाखिल रिटर्न में इस दावे से इनकार नहीं किया गया है कि उसका भाई संविदा के आधार पर काम कर रहा है और केवल यह कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता का बड़ा भाई भारतीय सेना में काम कर रहा है, इसलिए वह संशोधित नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है। मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने के पीछे तर्क यह है कि जब कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में है, तो उसकी आय स्थायी आधार पर सुनिश्चित होती है और मामले के इस दृष्टिकोण से हमारी सुविचारित राय में, खंड 6 ए में आने वाला शब्द "सरकारी सेवा" नियमित सरकारी सेवा को दर्शाता है, न कि संविदा सेवा को और इसलिए याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज करना कि याचिकाकर्ता का भाई सरकारी सेवा में है, वह अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है, कायम नहीं रखा जा सकता। तदनुसार रिट याचिका में दिनांक 14.09.2018 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर नीति के आलोक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. तदनुसार, डब्ल्यू. पी. एस. No.6689/2018 की अनुमति है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

53. यह हमें डब्ल्यूपीएस संख्या 2887/2017 पर विचार करने के लिए लाता है।

54. राज कुमार (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वह योजना लागू होगी, जो आवेदन पर वास्तव में विचार किए जाने के समय लागू है, न कि वह योजना जो आवेदन किए जाने से पहले लागू थी।

55. **एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह, (2014) 13 एससीसी 583** में रिपोर्ट की गई, यह निम्नानुसार देखा गया था:

> "15. न्यायालय ने सेवा न्यायशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही आवेदक स्वतः ही नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है, बल्कि यह विभिन्न अन्य परिस्थितियों जैसे पात्रता और परिवार की वित्तीय स्थिति आदि पर निर्भर करता है, इसलिए आवेदन पर योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। यदि योजना कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाती है, तो कोई उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके मामले पर उस तिथि को विद्यमान योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जिस तिथि को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था, अर्थात पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु। भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में, नई योजना के तहत मामले पर विचार किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

56. **भारतीय स्टेट बैंक बनाम जसपाल कौर, (2007) 9 एस. सी. सी. 571** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता के पक्ष में मामले का निर्णय लेने में गलती की है, जब उत्तरदाता का आवेदन 2000 में प्रतिवेदित था और यह अभिनिर्धारित प्रतिवेदित था कि 2000 में उत्पन्न होने वाले विवाद का निर्णय उस योजना के आधार पर नहीं किया जा सकता है, जो विवाद उत्पन्न होने के बहुत बाद हुई थी।

57. **(2015) 7 एस. सी. सी. 412** में रिपोर्ट किए गए **केनरा बैंक और एक अन्य बनाम एम. महेश कुमार** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ, जब उस मामले में विशेष 'डाइंग इन हार्नेस स्कीम' दिनांक 08.05.1993 लागू थी, जिसके

तहत उसमें रिट याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाया गया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उनके मामले पर बाद की योजना के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता है, जो 2005 में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अस्तित्व में आई थी।

58. इं**डियन बैंक एवं अन्य बनाम प्रोमिला एवं अन्य, (2020) 2 एससीसी 729** में रिपोर्ट किए गए, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. महेश कुमार (सुप्रा) में दिए गए प्रस्ताव को दोहराया कि कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित प्रासंगिक योजना लागू होती है।

59. **भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम शिव शंकर तिवारी, (2019) 5 एससीसी 600** में रिपोर्ट किया गया, में दो माननीय न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों अर्थात् एक ओर राज कुमार (सुप्रा) और चक्रवर्ती सिंह (सुप्रा) तथा दूसरी ओर एम. महेश कुमार (सुप्रा) और जसपाल कौर (सुप्रा) से उत्पन्न भिन्न सिद्धांतों को देखते हुए, यह देखा गया कि इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम तीन माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

60. शिव शंकर तिवारी (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय के बाद, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास, (2020) 10 एससीसी 496** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि मृत्यु की तिथि पर प्रचलित नीति के अनुसार, एक कार्य–प्रभारित / आकस्मिकता निधि कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं था और दोहराया कि कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित प्रासंगिक योजना लागू होती है।

61. **ए.आई.आर. ऑनलाइन 2021 एससी 1047** में रिपोर्ट किए गए आशीष अवस्थी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर प्रचलित योजना पर ही विचार किया जाना है।

62. एन.सी. संतोष (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 14, 15, 16, 17 और 19 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "14. भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज कुमार, (2010) 11 एस. सी. सी. 661 में इस न्याया लय ने यह दोहराते हुए कि किसी भी उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का निहित अधिकार नहीं है, घोषणा की कि जो मानदंड लागू हैं, जब आवेदन पर वास्तव में विचार किया जाएगा, वे लागू होंगे। इस निर्णय में नियोक्ता के नीतियों के आधार पर योजना को संशोधित करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी।इसी तरह एम. जी. बी. ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह, (2014) 13 एस. सी. सी. 583 में इस न्यायालय ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति पर प्रचलित योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और कोई भी उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके मामले पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर मौजूद योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
>
> 15. यद्यपि केनरा बैंक बनाम एम. महेश कुमार, (2015) 7 एस. सी. सी. 412 में नीति में बड़े बदलाव के संदर्भ में, जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति (दिनांक 8.5.1993 योजना द्वारा परिकल्पित) के बजाय, अनुग्रह राशि का भुगतान प्रस्तावित किया गया था (दिनांक 14.02.2005 के परिपत्र के तहत), न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। नियुक्ति का दावा करने के अधिकार के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने "डाइंग इन हार्नेस स्कीम" को विचार के लिए आधार माना, जो कर्मचारी की मृत्यु पर प्रचलित थी।
>
> 16. न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राज कुमार, (सुप्रा) और एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह, (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और केनरा बैंक बनाम एम. महेश कुमार (सुप्रा) में इसके विपरीत दृष्टिकोण को देखा और इस परस्पर विरोधी प्रश्न के समाधान की आवश्यकता महसूस की कि क्या मृत्यु की तिथि या आवेदन पर विचार करने की तिथि पर लागू मानदंड लागू होने चाहिए। तदनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम शिव शंकर तिवारी, (2019) 5 एससीसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

600 में, न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजा ताकि परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

17. उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि केनरा बैंक एवं अन्य बनाम एम. महेश कुमार (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण को समन्वय पीठ के दो पूर्व निर्णयों में दिए गए विपरीत दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, इसलिए केनरा बैंक एवं अन्य बनाम एम. महेश कुमार (सुप्रा) पर अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए मजबूत भरोसे के साथ–साथ उदय कृष्ण नाइक बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की राय के बावजूद, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के दावे पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू नियमों के अपरिवर्तित प्रावधानों के तहत विचार किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों से निकाले गए अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून को लागू करते हुए, इस मुद्दे पर हमारी राय यह है कि आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का आश्रित, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर प्राप्त किसी भी निहित अधिकार के अभाव में केवल अपने आवेदन पर विचार करने की मांग कर सकता है। हालाँकि, वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दिन लागू मानदंडों के अनुसार विचार करने का हकदार नहीं है।''

63. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रोमिला एवं अन्य (सुप्रा), एन.सी. संतोष (सुप्रा) और आशीष अवस्थी (सुप्रा) में निर्णय, शिव शंकर तिवारी (सुप्रा) में एक बड़ी बेंच को संदर्भित किए जाने के बाद दिए गए। प्रोमिला एवं अन्य (सुप्रा), अमित श्रीवास (सुप्रा) और आशीष अवस्थी (सुप्रा) में, एक बड़ी बेंच को संदर्भित किए जाने पर ध्यान नहीं दिया गया।

64. **सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और अन्य बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा (सिविल अपील संख्या 7752/2021)** में, तथ्यों से यह पता चलता है

कि कर्नाटक राज्य में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के नाम से ज्ञात नियमों के एक सेट द्वारा शासित थी, जो कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के साथ धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी किए गए थे। जिस तारीख को प्रतिवादी की बहन की मृत्यु हुई यानी 08.12.2020 को, नियमों में उक्त नियमों के नियम 2(1)(ए) के तहत "मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित" की परिभाषा के अंतर्गत एक अविवाहित भाई को शामिल नहीं किया गया था। दिनांक 11.07.2012 की अधिसूचना द्वारा, एक मृतक अविवाहित सरकारी कर्मचारी के अविवाहित भाई को परिभाषा में शामिल किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिव शंकर तिवारी (सुप्रा) में दिए गए संदर्भ को देखने के बाद, पाया कि निर्णयों की इन दो पंक्तियों के बीच स्पष्ट संघर्ष एक संशोधन के बीच अंतर के कारण था जिसके द्वारा मौजूदा लाभ को वापस ले लिया गया था या कम कर दिया गया था और एक संशोधन जिसके द्वारा मौजूदा लाभ को बढ़ाया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या संशोधन की प्रकृति के आधार पर भिन्न थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

65. भीमेश उर्फ भीमप्पा (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 17 और 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> "17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि हम उस तरीके का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं जिसमें इस न्यायालय ने कर्मचारी की मृत्यु के बाद लागू होने वाली एक नई या संशोधित योजना की प्रयोज्यता की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ा है, तो हम एक दिलचस्प विशेषता देख सकते हैं।ऐसे मामलों में जहां मौजूदा योजना के तहत लाभ लिया गया था या कम लाभ के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, इस न्यायालय ने नई योजना के आवेदन का निर्देश दिया, लेकिन ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद संशोधित योजना द्वारा मौजूदा योजना के तहत लाभ बढ़ाए गए थे, इस न्यायालय ने केवल उस योजना को लागू किया, जो कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू थी। यह मूल रूप से इस तथ्य के कारण है कि अनुकंपा नियुक्ति को हमेशा भर्ती की सामान्य पद्धति का

अपवाद माना जाता था और शायद व्यक्ति के प्रति कम करुणा और कानून के शासन के प्रति अधिक चिंता के साथ देखा जाता था।

18. यदि अनुकंपापूर्वक नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और किसी भी प्रकार की जांच के बिना किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्वचालित कर दी जाती है, तो इसे विधि में निहित अधिकार के रूप में माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वतः नहीं होती है, लेकिन परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की कड़ी जांच के अधीन है, इसलिए कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है, यही कारण है कि जिन निर्णयों को हमने ऊपर सारणीबद्ध किया है, उनमें से कुछ ने संशोधित योजनाओं की प्रयोज्यता की अलग–अलग व्याख्या की है, जिससे राय का टकराव होता है। यद्यपि इस बात पर मतभेद है कि कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू योजना लागू होगी या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने की तिथि पर लागू योजना लागू होगी, लेकिन उपरोक्त निर्णयों में परिलक्षित अंतर्निहित चिंता के बारे में निश्चित रूप से कोई मतभेद नहीं है। जहाँ भी संशोधित योजनाओं ने मौजूदा लाभों को कम किया, इस न्यायालय ने उन लाभों को लागू किया, लेकिन जहाँ भी संशोधित योजना ने बड़े लाभ दिए, वहाँ पुरानी योजना लागू की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

66. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भीमेश उर्फ भीमप्पा (सुप्रा) में यह माना कि मृत्यु की तिथि ही एक निश्चित कारक है और इसलिए संशोधित योजना की प्रयोज्यता के बारे में व्याख्या केवल मृत्यु की तिथि जैसे निश्चित और निश्चित मानदंड पर निर्भर होनी चाहिए, न कि अनिश्चित और परिवर्तनशील कारक पर। मामले में प्राप्त तथ्यों के प्रकाश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल इस तथ्य के कारण कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन संशोधन को शामिल किए जाने के बाद विचार के लिए लिया गया था, प्रतिवादी संशोधन का लाभ नहीं

मांग सकता था और परिणामस्वरूप अपील की अनुमति देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

67. यह देखा गया है कि इस प्रश्न के संबंध में कि क्या सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू नीति को लागू किया जाना चाहिए या अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के समय की नीति पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर मतभेद है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि कम से कम तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस मुद्दे पर विचार करने के लिए शिव शंकर तिवारी (सुप्रा) में पहले ही संदर्भ दिया जा चुका है। यह देखा जाना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह विचार किया था कि विचार की तिथि पर लागू योजना को ही लागू किया जाना चाहिए। एन.सी. संतोष (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को देखने के बाद भीमेश उर्फ भीमप्पा (सुप्रा) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की थी कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू नीति अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में इस बात पर प्रकाश डाला था कि जहां मौजूदा नीति के तहत लाभ हटा लिया गया था या कम लाभ के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, न्यायालय ने नई नीति के आवेदन का निर्देश दिया था और ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी की मृत्यु के बाद संशोधित नीति द्वारा मौजूदा नीति के तहत लाभ बढ़ाए गए थे, न्यायालय ने केवल वही नीति लागू की जो कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू थी। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह की व्याख्या मूलतः इस तथ्य के कारण थी कि अनुकंपा नियुक्ति को हमेशा भर्ती की सामान्य पद्धति का अपवाद माना जाता था और शायद व्यक्ति के प्रति कम करुणा और कानून के शासन के प्रति अधिक चिंता के साथ इसे कम आंका जाता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

68. अभी तक, उपरोक्त मुद्दे पर केवल तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, अर्थात एन.सी. संतोष (सुप्रा) में, जबकि ऊपर उल्लिखित अन्य सभी निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ के हैं। उपरोक्त परिस्थिति में, यह न्यायालय एन.सी. संतोष (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत का पालन करना उचित समझता है।

69. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, डब्ल्यू. पी. एस.न० .2887/2017 को निरस्त कर दिया जाता है।

70. तैयार संदर्भ के लिए, रिट याचिकाओं/रिट अपील के परिणाम का संकेत नीचे दिया गया है:(1) डब्ल्यू पीसी संख्या. 2887/2017, 169/2022,197/2022,223/2022,270/2022,561/2022,592/2022,596/2022,652/2022,823/2022,920/2022,931/2022,1136/2022,1196/2022,1418/2022 को खारिज कर दिया जाता है। (2) डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 6689/2018 और डब्ल्यू. ए. संख्या 110/2020 की अनुमति है।

71. कोई लागत नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अरूप कुमार गोस्वामी)
मुख्य न्यायाधिपति

(पार्थ प्रतिम साहू)
जज

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**